न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

राजस्व अपील संख्याः 05/2020

दायर दिनांकः 18.02.2020

निर्णय दिनांक 25.07.2025

—: अनवान :—

परशराम पिता हिरालाल जी जाति धोबी आयु वयस्क निवासी केलवा, तहसील व जिला राजसमंद **— अपीलान्ट**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, राजसमन्द तहसील राजसमन्द जिला राजसमंद **— रेस्पोण्डेन्ट**

अपील विरूद्ध निर्णय माननीय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब राजसमंद जिन्होनें अपना निर्णय दिनांक 20.01.2020 पत्रावली संख्या 11 सन 2020 नाजायज कब्जा में दिया

उपस्थितः—

1— श्री अब्दुल हाकिम चुड़ीघर, अधिवक्ता अपीलान्ट

2— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द प्रकरण संख्या 11/2020 निर्णय दिनांक 20.01.2020 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट मूलतः केलवा का निवासी होकर उनका पैतृक मकान कालबेलिया बस्ती केलवा में बना हुआ है जहाँ अपीलान्ट अपने परिवार सहित रह रह रहा है। इस मकान के अतिरिक्त और कोई मकान अपीलान्ट के पास नहीं है। अभी कुछ दिनो पूर्व अपीलान्ट के विरूद्ध पंचायत चुनाव में राजनैतिक दुर्भावनावश यह शिकायत हुई कि अपीलान्ट ने चारागाह भूमि में अवैद्य मकान बना रखा है। इस शिकायत पर हल्का पटवारी ने बिना अपीलान्ट की मौजूदगी में रिपोर्ट बनाये माननीय अधिनस्थ तहसीलदार साहब के यहाँ एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत कर दी कि सम्वत 2076 में राजस्व गाँव केलवा के आराजी संख्या 4429 कुल रकबा 175 बीघा चारागाह में से 00.04 चार बिस्वा भूमि पर अपीलान्ट विपक्षी ने कमरा निर्माण चालू किया जबकि अपीलान्ट का मकान काफी पुराना है। इस शिकायत पर माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने नाजायज कब्जे में प्रकरण दर्ज कर दिनांक 20.01.2020 को अपीलान्ट विपक्षी को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना पत्र जारी किया। जिस पर विपक्षी न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं जबानी निवेदन किया कि उसका मकान पैतृक मकान होकर काफी पुराना है इस संबध में अपीलान्ट विपक्षी अपने दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य न्यायालय में पेश करना

न्यायालय जिला कलक्टर ★ राजसमन्द (राज.) ★

चाहता है जिसके लिए उसे अवसर प्रदान कराया जावे क्योंकि सूचना पत्र प्राप्ति के पश्चात् विपक्षी अपीलान्ट को पर्याप्त समय साक्ष्य संकलन हेतु नहीं मिलने से वह सुनवाई दिनांक 20.01.2020 को साक्ष्य पेश नहीं कर सक रहा है जिस पर न्यायालय ने अपीलान्ट से केवल मात्र आदेशिका पर हस्ताक्षर करवा बाद में तारीख पेशी का पता लगा लेने का कथन किया। दूसरे रोज अपीलान्ट न्यायालय में तारीख पेशी हेतु उपस्थित हुआ तो उसे आयन्दा आने हेतु कहा गया। दिनांक 11.02.2020 को अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ तो जानकारी हुई कि उसे उसके मकान से 50 गुना भू राजस्व की शास्ति सहित बेदखली के आदेश कर दिये है जिस पर दुःखी रंजित परेशान हो अपीलान्ट ने तत्काल अधिनस्थ की पत्रावली एवं निर्णय हेतु आवेदन किया एवं मिलते नकल बिना किसी विलम्ब के अपीलान्ट अपनी अपील इन आधार पर प्रस्तुत कर रहा है। माननीय अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व न्याय के विपरित होकर काबिल निरस्त है। ग्राम पंचायत केलवा एवं तहसीलदार साहब द्वारा समय समय पर चरागाह एवं अन्य राजस्व भूमि व आबादी भूमि पर अवेद्य अतिक्रमण बाबत् कार्यवाही की गई लेकिन कभी भी अपीलान्ट के मकान को चरागाह भूमि में होना नहीं पाया गया। वर्ष 2019 में भी माह जुलाई अगस्त में ग्राम पंचायत एवं तहसीलदार साहब द्वारा संयुक्त अभियान चलाये गये लेकिन अपीलान्ट की भूमि कालबेलिया बस्ती वाले आराजी नम्बर जो कि राजस्व अभिलेख में आबादी से दर्ज हे में अपीलान्ट का मकान होना पाया गया। इस प्रकार अपीलान्ट का मकान कालबेलिया बस्ती के आराजी नम्बर जो कि किस्म आबादी है में स्थित है। अभी वर्तमान में नये पटवारी साहब का पदस्थापन हुआ हे पूर्व पटवारी साहब को इस मामले का पूर्ण ज्ञान था कि अपीलान्ट का मकान कालबेलिया बस्ती के आराजी नम्बर की सीमा में स्थित है लेकिन किनारे पर आने के कारण वर्तमान पटवारी साहब ने केवल बिना नपती किये अपीलान्ट के मकान को चरागाह भूमि में होना मान यह कार्यवाही कर दी है जो स्पष्टतः तहसीलदार साहब के क्षेत्राधिकार के बाहर है। बिना विस्तृत जॉच किये अपीलान्ट के विरूद्ध यह आदेश पारित कर दिया जो काबिल निरस्त है। अपीलान्ट का मकान आबादी क्षेत्र में होकर राज्य सरकार के प्रचलित नियमो के अनुसार नियमन योग्य हैं। राज्य सरकार की योजना सबको आवास सबको शिक्षा सबको चिकित्सा के मूल भूत सिद्वान्तो के विपरित बिना जॉच किये पटवारी साहब ने जो रिपोर्ट तहसीलदार साहब के यहाँ प्रस्तुत कर दी एवं तहसीलदार साहब ने भी बिना जॉच किये व बिना गवाह सबूत लिये जो बेदखली का आदेश पारित कर दिया वह काबिल निरस्त है। अपीलान्ट अपने मकान के संबध में विस्तृत जॉच एवं गवाह सबूत पेश करना चाहता है जिसका उसे पर्याप्त समय दिया जाना आवश्यक हे। बिना जॉच किये जो बेदखली का आदेश पारित कर दिया हे उससे अपीलान्ट को भारी असुविधा का सामना करना पड रहा है। उसके परिवार को बेघर होना पड जायेगा। आराजी नम्बर 4429 एक बडा रकबा है इसी में 4429/1 किस्म आबादी से दर्ज है। इस प्रकार आराजी नम्बर 4429 से सटमा आराजी संख्या 4429/1 किस्म आबादी व आराजी संख्या 4421/1 किस्म आबादी से दर्ज होकर अपीलान्ट का मकान आबादी क्षेत्र में स्थित होने से अधिनस्थ न्यायालय की सारी कार्यवाही उसके अधिकार से परे होकर विधि विरूद्ध है जो निरस्त होने योग्य हैं। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा उपस्थित हुए।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट मूलतः केलवा का निवासी होकर उनका पैतृक मकान कालबेलिया बस्ती केलवा में बना हुआ है जहाँ अपीलान्ट अपने परिवार सहित रह रहा है। इस मकान के अतिरिक्त और कोई मकान अपीलान्ट के पास नहीं है। अभी कुछ दिनो पूर्व अपीलान्ट के विरूद्ध पंचायत चुनाव में राजनैतिक दुर्भावनावश यह शिकायत हुई कि अपीलान्ट ने चारागाह भूमि में अवैद्य मकान बना रखा है। इस शिकायत पर हल्का पटवारी ने बिना अपीलान्ट की मौजूदगी में रिपोर्ट बनाये माननीय अधिनस्थ तहसीलदार साहब के यहाँ एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत कर दी कि सम्वत 2076 में राजस्व गाँव केलवा के आराजी संख्या 4429 कुल रकबा 175 बीघा चारागाह में से 00.04 चार बिस्वा भूमि पर अपीलान्ट विपक्षी ने कमरा निर्माण चालू किया जबकि अपीलान्ट का मकान काफी पुराना है। इस शिकायत पर माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने नाजायज कब्जे में प्रकरण दर्ज कर दिनांक 20.01.2020 को अपीलान्ट विपक्षी को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना पत्र जारी किया। जिस पर विपक्षी न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं जबानी निवेदन किया कि उसका मकान पैतृक मकान होकर काफी पुराना है इस संबध में अपीलान्ट विपक्षी अपने दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य न्यायालय में पेश करना चाहता है। दिनांक 11.02.2020 को अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ तो जानकारी हुई कि उसे उसके मकान से 50 गुना भू राजस्व की शास्ति सहित बेदखली के आदेश कर दिये है। माननीय अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व न्याय के विपरित होकर काबिल निरस्त है। ग्राम पंचायत केलवा एवं तहसीलदार साहब द्वारा समय समय पर चरागाह एवं अन्य राजस्व भूमि व आबादी भूमि पर अवेद्य अतिक्रमण बाबत् कार्यवाही की गई लेकिन कभी भी अपीलान्ट के मकान को चरागाह भूमि में होना नहीं पाया गया। वर्ष 2019 में भी माह जुलाई अगस्त में ग्राम पंचायत एवं तहसीलदार साहब द्वारा संयुक्त अभियान चलाये गये लेकिन अपीलान्ट की भूमि कालबेलिया बस्ती वाले आराजी नम्बर जो कि राजस्व अभिलेख में आबादी से दर्ज हे में अपीलान्ट का मकान होना पाया गया। इस प्रकार अपीलान्ट का मकान कालबेलिया बस्ती के आराजी नम्बर जो कि किस्म आबादी है में स्थित है। लेकिन किनारे पर आने के कारण वर्तमान पटवारी साहब ने केवल बिना नपती किये अपीलान्ट के मकान को चरागाह भूमि में होना मान यह कार्यवाही कर दी है जो स्पष्टतः तहसीलदार साहब के क्षेत्राधिकार के बाहर है। बिना विस्तृत जॉच किये अपीलान्ट के विरूद्ध यह आदेश पारित कर दिया जो काबिल निरस्त है। अपीलान्ट का मकान आबादी क्षेत्र में होकर राज्य सरकार के प्रचलित नियमो के अनुसार नियमन योग्य हैं। राज्य सरकार की योजना सबको आवास सबको शिक्षा सबको चिकित्सा के मूल भूत सिद्वान्तो के विपरित बिना जॉच किये पटवारी साहब ने जो रिपोर्ट तहसीलदार साहब के यहाँ प्रस्तुत कर दी एवं तहसीलदार साहब ने भी बिना जॉच किये व बिना गवाह सबूत लिये जो बेदखली का आदेश पारित कर दिया वह काबिल निरस्त है। अपीलान्ट अपने मकान के संबध में विस्तृत जॉच एवं गवाह सबूत पेश करना चाहता है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि पटवारी हल्का केलवा ने अपीलार्थी परशराम पिता हीरा धोबी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि राजस्व ग्राम केलवा की चारागाह भूमि पर परशराम पिता हीरा धोबी ने कमरा निर्माण चालु कर अनाधिकृत कब्जा किया है। जिससे इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करावे। पटवारी हल्का केलवा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया एवं सुनवाई हेतु नियत पेशी दिनांक को अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस जारी कर समूचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर व न्यायिक प्रक्रिया का पूर्ण पालन किया जाकर बेदखली आदेश पारित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि चारागाह होना निर्विवादित है एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत चारागाह भूमि पर किये गये अनाधिकृत कब्जे से बेदखली आदेश पारित करने व अतिक्रमी के विरूद्ध शास्ति आरोपित करने के अधिकार तहसीलदार को प्राप्त है। जहां तक वादग्रस्त भूमि के आबादी में होने का प्रश्न है अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेज/साक्ष्य न तो इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ना ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द के द्वारा दिनांक 20.01.2020 को पारित आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति तहसीलदार राजसमन्द को लौटायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 25.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद